

म  
की  
री  
सूरीख  
हकम

अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए ।

23/12  
2022

पत्रापत्ती में आज प्राबन्धित अन्तिम धारा 25A  
 पर आज विरोध किया जाता है पत्रापत्ती का  
 अन्वेषण किया गया तथा अपील आवेदन के द्वारा  
 पत्र में एसेप में तथा एल एमएल एलएल एलएल  
 गोमला में भूमि एलएल एलएल नंबर 251, 259, 252  
 251 एलएल भूमि एलएल अपील व अन्तिम  
 अन्वेषण 1 की अनुसंधान अपील की थी। उक्त  
 भूमि का विभाजन अपील व अन्तिम के  
 दिनांक 01/09/1998 को क्रेडिट में आपकी  
 विभाजन करवा दिया, विभाजन के जमान पर  
 की जमीन को आपत में जोड़े हेतु कोई खाता नहीं  
 उपस्थापन नहीं किया गया अपील की एलएल भूमि  
 अनुसंधान नंबर 251/252 एलएल 1.32 हेक्टर में जोड़ने  
 लिए कोई खाता नहीं है अपील व अन्तिम के।  
 के सामलपती मजगन एलएल नंबर 251 में ही दोनों  
 इसी खाता नम्बर के विवरण दर्शाते हैं अपील  
 अपील के एलएल नंबर 251/252 में जोड़े व अपील  
 एलएल नंबर हेतु संसाधनों को। एलएल के  
 लिए एलएल नंबर 252 व एलएल नंबर 253/252 व 259  
 की इतनी विभाजन एलएल खाता एलएल नंबर 251/252  
 में आला। विभाजन करवा देने की विभाजन  
 प्राबन्धित अपील द्वारा पत्रापत्ती एलएल  
 विभाजन अपील एलएल की अपील की करवा  
 एलएल के एलएल एलएल व एलएल प्राबन्धित अपील  
 एलएल प्राबन्धित अपील एलएल एलएल एलएल



तारीख  
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए ।

जायगी ~~वहाँ~~ ~~हुक~~ कुल भूमि 504 वर्गमीटर  
 है। अर्थात् नं० 242, 249, 251 आदि प्लॉट के  
 वादी व सुविपादी कि लागूकारी अर्थात् दर्ज की  
 परन्तु अर्थात् विभाजन के समय ~~अर्थात्~~ ~~कम~~ ~~कथन~~  
 रिकॉर्ड में दर्ज किए गयी जिला वादी व अतिरिक्त  
 दोनो छोटे भाग ~~होने पर~~ परापूर्व में यही  
 निकलवाए अर्थात् ~~दिया~~ ~~तक~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~के~~  
 सुविपादी ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 लागूकारी ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 अर्थात् A-B व C-D व E-F, F-G  
 की है।

अतः सामाना पत्र सुविपादी का स्वीकार किया जाता है।  
 सुविपादी स्वीकार किया जाता है। ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 अतः अर्थात् के साथ प्रति लेखा किया जाता है कि सुविपादी  
 240 नं० ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 नं० B तथा ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 नं० 242 में ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 अर्थात् ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~  
 (अर्थात्) ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~ ~~अर्थात्~~

उप खण्ड अधिकारी  
 चिडावा जिला मुन्सुनू (राज.)

